भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. †*315

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों का विश्वस्तरीय विकास संबंधी पहल

†*315. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों का विश्वस्तरीय विकास संबंधी पहल के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) देशभर में उक्त पहल के अंतर्गत अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान, उनके चयन, मूल्यांकन, कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु विशेषकर झारखंड सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या संस्थागत ढांचा अपनाया गया है;

(ग) उक्त पहल के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं, आवंटित धनराशि, उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और पूरा होने की संभावित समय-सीमा का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त पहल के अंतर्गत कर्नाटक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस पहल के अंतर्गत बेंगलुरू सहित कर्नाटक में किन्हीं प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है अथवा उन्हें विकसित किए जाने पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यटन संबंधी अवसंरचना, पर्यटकों हेतु सुविधाओं, विरासत संरक्षण, पर्यावरण संधारणीयता, संपर्क सुविधा और स्थानीय क्षेत्र के आर्थिक विकास का अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पर्यटन बढ़ाने, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास के संबंध में उक्त पहल के प्रभाव का आकलन करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी और श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों के विश्वस्तरीय विकास संबंधी पहल के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या †*315 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (छ): देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने 'पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का वैश्विक स्तर पर विकास' संबंधी पहल के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के टेम्पलेट के साथ परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। राज्यों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की जांच के लिए तैयार किए गए मानकों में स्थल तक संपर्कता, स्थल/गंतव्य पर विद्यमान पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र, वहन क्षमता, जन सुविधा सेवाओं की उपलब्धता, परियोजना का प्रभाव और परिकल्पित मूल्य शामिल थे, जिनमें पर्यटकों की संख्या में संभावित वृद्धि, पर्यटकों के व्यय में वृद्धि, नए रोजगार के अवसर, निजी निवेश को आकर्षित करना आदि शामिल थे। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य की दो परियोजनाओं के साथ देश के 23 राज्यों में 40 परियोजनाओं को 100% केंद्रीय वित्तपोषण के साथ 3295.76 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, व्यय विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए एसएएससीआई के दिशानिर्देशों में संशोधन किया और संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, वैसे राज्य, जिन्होंने एसएएससीआई 2024-25 के भाग-III के अंतर्गत निधियां प्राप्त नहीं कीं, वे एसएएससीआई 2025-26 के भाग-II के अंतर्गत पर्यटन परियोजनाओं के लिए अधिकतम 250 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसएएससीआई 2025-26 के भाग-II के अंतर्गत पर्यटन परियोजनाओं के लिए नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक राज्य के लिए 250 करोड़ रुपये की विशेष सहायता स्वीकृत कर जारी कर दी गई है और स्वीकृति संबंधी विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

एसएएससीआई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। एसएएससीआई के लिए दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय संस्थागत ढांचा शामिल है, जिसमें केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी), मिशन निदेशालय (एमडी) आदि तथा राज्य संबंधी संस्थागत ढांचा शामिल हैं। आपसी समन्वय के साथ विकास में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) और मिशन निदेशालय में अन्य के साथ-साथ संस्कृति, आवासन एवं शहरी कार्य, नागर विमानन, सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग, पत्तन, पर्यावरण एवं वन, ग्रामीण विकास, रेल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। लागू वैधानिक स्वीकृतियों, वहन क्षमता संबंधी पहलुओं, हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और सतत् परिचालन एवं अनुरक्षण संबंधी व्यवस्था को भी परियोजना से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में शामिल किए जाने की आवश्यकता होती है।

मंत्रालय ने अपनी गंतव्य विकास संबंधी योजनाओं की निगरानी के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में एक कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) भी तैयार की है, ताकि अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के संबंध में निरंतर सूचना, संचार, साझाकरण और रिपोर्टिंग प्रणाली को सुगम बनाया जा सके। पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन सहित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ इस प्रणाली के अभिन्न अंग हैं।

जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, परियोजना के परिचालन, सेवा स्तर एवं परिणामों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों में तृतीय-पक्ष मूल्यांकन का भी प्रावधान है। चूंकि वर्तमान में स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन एवं परिचालन के अलग-अलग चरणों में हैं, पर्यटन के विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास पर उनके समग्र प्रभाव का आकलन, उनके पूरा होने एवं परिचालन के स्टेबिलाइजेशन के पश्चात ही हो पाएगा।

अनुबंध

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी और श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों का विश्वस्तरीय विकास संबंधी पहल के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या †*315 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में **विवरण**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत एसएएससीआई पर्यटन परियोजनाओं की सूची:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**राज्य**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत लागत**	**जारी राशि**	**कार्य की स्थिति (पीएमआईएस के अनुसार)**	**भौतिक प्रगति (% में)**	**स्वीकृति तिथि**	**राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार- पूरा होने की संशोधित संभावित तिथि**
1.	आंध्र प्रदेश	गंडीकोटा में फोर्ट एवं गोर्ज एक्सपीरियंस का संवर्धन	77.91	113.75	जारी	83%	26-11-2024	30-08-2026
2.	आंध्र प्रदेश	राजा महेंद्रवरम में अखंड गोदावरी- (हवेलोक ब्रिज और पुष्कर घाट)	94.44		जारी	69%	26-11-2024	30-08-2026
3.	अरुणाचल प्रदेश	पासीघाट में सियांग एडवेंचर और इकोरिट्रीट-	46.48	30.67	जारी	78%	26-11-2024	04-09-2026
4.	असम	गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान	97.12	191.88	जारी	56%	26-11-2024	28-02-2027
5.	असम	शिवसागर में रंग घर का सौंदर्यीकरण	94.76		जारी	43%	26-11-2024	28-02-2027
6.	बिहार	सहरसा में मत्स्यगंधा झील का	97.61	97.10	जारी	29%	26-11-2024	31-12-2026

		विकास						
7.	बिहार	करमचट में करमचट इको पर्यटन और एडवेंचर हब	49.51		जारी	78%	26-11-2024	31-12-2026
8.	छत्तीसगढ़	रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का विकास	95.79	97.45	जारी	3%	26-11-2024	31-09-2027
9.	छत्तीसगढ़	रायपुर में जनजातीय और सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र का विकास	51.87		जारी	2%	26-11-2024	31-09-2027
10.	गोवा	पोंडा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय	97.46	188.20	जारी	38%	26-11-2024	30-01-2027
11.	गोवा	पोरवोरिम में टाउनस्क्वेयर	90.74		जारी	54%	26-11-2024	30-01-2027
12.	गुजरात	केरली (मोकरसागर), पोरबंदर में इकोपर्यटन - गंतव्य	99.50	151.06	जारी	31%	26-11-2024	30-03-2027
13.	गुजरात	धोर्डो में टेंटेड सिटी और कन्वेंशन सेंटर	51.56		भौतिक रूप से पूर्ण	100%	26-11-2024	भौतिक रूप से पूर्ण
14.	झारखंड	कोडरमा में तिलैया का इको-पर्यटन विकास	34.87	23.01	कार्य रोक दिया गया है	0%	26-11-2024	लागू नहीं
15.	कर्नाटक	रोएरिच और देविका रानी एस्टेट टाटागुनि, बेंगलुरु में इको पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र	99.17	131.45	जारी	12%	26-11-2024	30-01-2027
16.	कर्नाटक	बेलगावी में	100.00		जारी	0%	26-11-	30-01-

		सवादत्ती यल्लम्मागुड्डा का विकास					2024	2027
17.	केरल	कोल्लम में अष्टमुडी जैव विविधता और इको मनोरंजन केंद्र	59.71	155.05	जारी	55%	26-11-2024	31-07-2026
18.	केरल	सरगालया में मालाबार के सांस्कृतिक क्रूसिबल का ग्लोबल गेटवे	95.34		जारी	71%	26-11-2024	30-09-2026
19.	मध्य प्रदेश	ओरछा एक मध्यकालीन वैभवओरछा ,	99.92	199.30	जारी	53%	26-11-2024	31-12-2026
20.	मध्य प्रदेश	भोपाल में एमआईसीई के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर	99.38		जारी	74%	26-11-2024	31-12-2026
21.	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग में आईएनएस-गुलदार अंतर्जलीय संग्रहालय, कृत्रिम चट्टान और पनडुब्बी पर्यटन	46.91	146.05	जारी	55%	26-11-2024	30-03-2028
22.	महाराष्ट्र	नासिक में "रामकाल पथ-" का विकास	99.14		जारी	73%	26-11-2024	30-03-2027
23.	मणिपुर	लोकटक में लोकटक लेक एक्सपीरियंस	89.48	59.06	कार्य शुरू नहीं किया गया है	0%	26-11-2024	लागू नहीं (परियोजना को राज्य सरकार ने बदला है। प्रस्ताव जांच के अधीन है)
24.	मेघालय	मावखानू में एमआईसीई अवसंरचना	99.27		जारी	12%	26-11-2024	30-10-2027

25.	मेघालय	शिलांग में उमियम झील का पुनर्विकास	99.27	198.54	जारी	49%	26-11-2024	30-10-2027
26.	ओडिशा	हीराकुंड का विकास	99.90	131.92	जारी	8%	26-11-2024	30-03-2027
27.	ओडिशा	सतकोसिया का विकास	99.99		जारी	0%	26-11-2024	30-08-2028
28.	पंजाब	एसबीएस नगर में खटकर कलां में शहीद-ए-आजम, सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में हेरिटेज स्ट्रीट का विकास	53.45	53.45	जारी	70%	26-11-2024	31-12-2026
29.	राजस्थान	जयपुर में आमेर-नाहरगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र का विकास	49.31	96.30	जारी	70%	26-11-2024	30-03-2027
30.	राजस्थान	जयपुर में जल महल का विकास	96.61		जारी	31%	26-11-2024	30-03-2027
31.	सिक्किम	नामची में स्काईवॉक, भालेढुंगा, यांगांग	97.37	109.27	जारी	57%	26-11-2024	30-10-2026
32.	सिक्किम	नाथुला में बॉर्डर एक्सपीरियंस	68.19		जारी	69%	26-11-2024	30-10-2026
33.	तमिलनाडु	मामल्लापुरम में नंदवनम हेरिटेज पार्क का विकास	99.67	112.13	जारी	7%	26-11-2024	30-03-2027
34.	तमिलनाडु	ऊटी में रेस कोर्स में इको पार्क**	70.23		जारी	6%	04-11-2025	30-01-2027
35.	तेलंगाना	रामप्पा में रामप्पा क्षेत्र स्थायी पर्यटन परिपथ	73.74	93.62	जारी	57%	26-11-2024	31-12-2026

36.	तेलंगाना	नल्लामाला में सोमसिल्ला निरोगता और आध्यात्मिक रिट्रीट	68.10		जारी	22%	26-11-2024	31-12-2026
37.	त्रिपुरा	गोमती के बंडुआर में शक्ति पीठ पार्क	97.70	97.70	जारी	55%	26-11-2024	30-03-2027
38.	उत्तर प्रदेश	आगरा जिले में बटेश्वर का विकास	74.05	101.83	जारी	56%	26-11-2024	30-10-2026
39.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती में एकीकृत बौद्ध पर्यटन विकास	80.24		जारी	71%	26-11-2024	30-10-2026
40.	उत्तराखंड	प्रतिष्ठित शहर ऋषिकेश: ऋषिकेश में राफ्टिंग बेस स्टेशन	100.00	66.00	जारी	46%	26-11-2024	31-10-2026
		कुल	**3295.76**	**2644.79**				

वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत एसएएससीआई पर्यटन परियोजनाओं की सूची:

क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**	**जारी राशि (करोड़ रु. में)**
1.	हिमाचल प्रदेश	250.00	250.00
2.	मिजोरम	250.00	250.00
3.	नागालैंड	250.00	250.00
	कुल	750.00	750.00
